Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 95-2025/Ext.] चण्डीगढ़, सोमवार, दिनांक 26 मई, 2025
(5 ज्येष्ठ, 1947 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग–I	**अधिनियम**	
	1. हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान अधिनियम, 2025 (2025 का हरियाणा अधिनियम संख्या 9)।	121—123
	2. हरियाणा (बंदी आदान–प्रदान) निरसन अधिनियम, 2015 (2025 का हरियाणा अधिनियम संख्या 13)।	125
	3. हरियाणा भू–राजस्व संशोधन अधिनियम, 2025 (2025 का हरियाणा अधिनियम संख्या 14)।	127
	4. हरियाणा विधान सभा (सदस्य–सुविधा) संशोधन अधिनियम, 2015 (2025 का हरियाणा अधिनियम संख्या 16)।	129—130
	(केवल हिन्दी में)	
भाग–II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग–III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	कुछ नहीं	
भाग–IV	**शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं	

भाग–I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 26 मई, 2025

संख्या लैज. 10/2025.– दि हरियाणा ऑनरेबल डिस्पोज़ल ऑफ डेड् बॉडि ऐक्ट, 2025 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 21 मई, 2025 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4–क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगाः–

2025 का हरियाणा अधिनियम संख्या 9

हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान अधिनियम, 2025
हरियाणा राज्य में शव के बुनियादी मानवाधिकारों को बनाए रखने और शव के सम्मानपूर्वक अंतिम निपटान के लिए और उससे सम्बन्धित और उससे आनुषंगिक मामलों के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

परिभाषाएं।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "शव" से अभिप्राय है, किसी मृत इंसान का शरीर, जिसे परिवार के किसी सदस्य द्वारा अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाने से इनकार कर दिया जाता है या ले जाने के बाद विरोध–प्रदर्शन के प्रयोजन से उपयोग किया जाता है;

(ख) "पारिवारिक सदस्य" में शामिल हैं, पिता, माता, पत्नी, भाई, सुपुत्र, सुपुत्री या कोई भी व्यक्ति, जो विवाह या दत्तक–ग्रहण द्वारा मृतक से संबंधित है या संयुक्त परिवार में एक साथ रहने वाला कोई परिवारिक सदस्य;

(ग) "आनुवंशिक डेटा" से अभिप्राय है, डी0एन0ए0 या आर0एन0ए0 के विश्लेषण के माध्यम से प्राप्त शव को विरासत में मिली या से प्राप्त आनुवंशिक विशेषताओं से सम्बन्धित व्यक्तिगत डेटा;

(घ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;

(ड.) "अंतिम संस्कार" से अभिप्राय है, उस समुदाय या धर्म की परंपरा या रीति–रिवाज, जिससे मृतक सम्बन्धित था, के अनुसार शव का अंतिम संस्कार;

(च) "विहित" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;

(छ) "विरोध–प्रदर्शन" से अभिप्राय है, किसी शव का अंतिम संस्कार करने से रोकने के लिए किसी प्रदर्शन, अवज्ञा या आन्दोलन के माध्यम से मांग करना या किसी मांग को मनवाने के लिए परेशान करना; तथा

(ज) "राज्य" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य।

(2) इसमें प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 46), भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 45), हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 (2008 का 25) और हरियाणा शरीर–रचना विज्ञान अधिनियम, 1974 (1974 का 24) में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो संहिताओं या अधिनियम में उन्हें दिया गया है।

अंतिम संस्कार का अधिकार।

3. तत्समय लागू किसी अन्य विधि पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक शव को सम्मानजनक रूप में तथा समय पर अंतिम संस्कार का अधिकार होगा।

पारिवारिक सदस्य द्वारा शव का कब्जा लेना।

4. इस अधिनियम या तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन उपबन्धित विधिक प्रक्रिया की सम्यक् अनुपालना करने के पश्चात्, शव को कब्जे में लेने का परिवार के सदस्य का कर्तव्य होगा और सुनिश्चित करेगा कि पुलिस या कार्यकारी मजिस्ट्रेट या अस्पताल प्रबन्धन द्वारा शव सौंपे जाने पर अंतिम संस्कार किया गया है:

परन्तु परिवार के सदस्य द्वारा शव ले जाने से इनकार करने की स्थिति में, जिससे वह अंतिम संस्कार से वंचित हो जाए, कार्यकारी मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेगा कि अंतिम संस्कार तुरन्त किया गया है:

परन्तु यह और कि महामारी फैलने या किसी आपदा की स्थिति में, जिसमें व्यक्ति का शव पारिवारिक सदस्य को नहीं सौंपा जा सकता, तो सरकार, ऐसे शव के निपटान के लिए दिशा–निर्देश जारी करेगी।

विरोध–प्रदर्शन के लिए शव का उपयोग नहीं किया जाना।

5. परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार के विरोध–प्रदर्शन के लिए शव का स्वयं उपयोग नहीं करेगा या उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को शव का उपयोग करने के लिए नहीं उकसाएगा या सहमति नहीं देगा।

पुलिस अधिकारी की शव को कब्जे में लेने की शक्ति।

6. (1) जब कभी किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के पास व्यक्तिगत जानकारी से या अन्यथा से लिपिबद्ध कारणों से यह विश्वास करने का कारण है कि किसी शव का उपयोग परिवार के किसी सदस्य द्वारा या व्यक्तियों के किसी समूह द्वारा विरोध–प्रदर्शन के लिए किए जाने की संभावना है या इस प्रकार उपयोग किया जा रहा है, तो वह शव को अपने कब्जे में ले लेगा और इस आशय की सूचना तुरन्त सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक और कार्यकारी मजिस्ट्रेट को भेजेगा।

(2) शव को अपने कब्जे में लेने के पश्चात्, पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी शव को तुरन्त शव–परीक्षा के लिए भेजेगा, यदि ऐसा नहीं किया गया है। प्रभारी अधिकारी, यदि आवश्यक समझता है, तो कारणों को लिपिबद्ध करने के बाद, शव को पुनः शव–परीक्षा के लिए भेज सकता है।

शव के संचयन के लिए अस्पताल प्रबन्धन की बाध्यता।

7. अस्पताल प्रबन्धन,–

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि सड़ने और क्षति से बचाव के लिए डीप फ्रीजर में सुरक्षित अवस्था में शव का संचयन किया गया है; और

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि शव को गरिमापूर्ण रीति में रखा गया है।

कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्ति।

8. (1) धारा 6 के अधीन सूचना प्राप्त होने के पश्चात्, सम्बन्धित कार्यकारी मजिस्ट्रेट, मृतक के परिवार के किसी सदस्य को शव को अभिरक्षा में लेने के लिए और शव का अंतिम संस्कार करने के लिए नोटिस देगा।

(2) जब कभी भी, कोई कार्यकारी मजिस्ट्रेट किसी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या उप–धारा (1) के अधीन जारी किए गए नोटिस पर प्राप्त प्रतिक्रिया से सन्तुष्ट हो जाता है कि पारिवारिक सदस्य शव का अंतिम संस्कार करने का इच्छुक नहीं है, तो वह परिवार के सदस्य को आदेश में यथा वर्णित समय अवधि, जो बारह घंटे से अधिक न हो, के भीतर शव का अंतिम संस्कार करने और सार्वजनिक स्थल से विधिविरूद्ध अवरोध, यदि कोई हो, को तुरन्त प्रभाव से हटाने के लिए आदेश जारी करेगा:

परन्तु यदि विधिविरूद्ध अवरोध हटा दिया गया है, तो कार्यकारी मजिस्ट्रेट, यदि उसकी संतुष्टि हो जाती है कि पारिवारिक सदस्य के पास ऐसा करने का पर्याप्त कारण है, शव का अंतिम संस्कार करने के लिए समय अवधि को बढ़ा सकता है:

परन्तु यह और कि यदि पारिवारिक सदस्य विनिर्दिष्ट अवधि या बढ़ाई गई अवधि के भीतर शव का अंतिम संस्कार नहीं करता है, तो कार्यकारी मजिस्ट्रेट, आगामी बारह घंटों के भीतर अंतिम संस्कार करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय या संबंधित ग्राम पंचायत के किसी अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी, जैसा वह उचित समझे, को निर्देश देगा।

(3) उप–धारा (2) के अधीन कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया आदेश विधि के किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगा।

शव–परीक्षा की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी।

9. शव के प्रत्येक मामले में, अस्पताल प्रबन्धन द्वारा मृतक के फोटोग्राफ्स लिए जाएंगे और मृतक की शव–परीक्षा की विडियोग्राफी की जाएगी और इसके लिए व्यवस्था सम्बन्धित पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी।

आनुवंशिक डेटा की सूचना का संरक्षण।

10. शव की आनुवंशिक डेटा सूचना, डी0एन0ए0 या आर0एन0ए0 प्रोफाईलिंग के माध्यम से प्राप्त की जाएगी और इसका रख–रखाव सावधानीपूर्वक और गोपनीय रूप से किया जाएगा। सूचना को ऐसी रीति में तथा ऐसी अवधि, जो विहित की जाए, के लिए अनुरक्षित किया जाएगा।

सूचना की गोपनीयता।

11. कोई भी व्यक्ति, क्षतांकन और सामाजिक आलोचना से बचने के लिए मृतक से सम्बन्धित नैदानिक रिकार्ड की किसी भी सूचना को तब तक प्रकट नहीं करेगा, जब तक विधि द्वारा अपेक्षित न हो या लोकहित में न हो और मृतक के हित में न हो।

अदावाकृत शव का निपटान।

12. यदि कोई शव अदावाकृत रहता है, तो उसका निपटान हरियाणा शरीर–रचना विज्ञान अधिनियम, 1974 (1974 का 24) के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा।

विरोध–प्रदर्शन करने के लिए दण्ड।

13. कोई भी व्यक्ति, जो शव का उपयोग विरोध–प्रदर्शन करने के लिए करता है, तो वह कारावास, जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी, जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डनीय होगा और एक लाख रूपए तक के जुर्माने से भी दायी होगा।

आनुवंशिक डेटा सूचना तथा सूचना की गोपनीयता के प्रकटीकरण के लिए दण्ड।

14. कोई भी व्यक्ति, जो विधि द्वारा प्राधिकृत न हो या जो इस प्रकार प्राधिकृत हो किन्तु जो उचित प्रक्रिया अपनाए बिना या विधि द्वारा प्राधिकृत किए बिना, किसी प्रकार की आनुवंशिक डेटा सूचना और सूचना की गोपनीयता को प्रकट करता है, तो वह कारावास, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डनीय होगा तथा एक लाख रूपए तक के जुर्माने से भी दायी होगा।

दुष्प्रेरण, प्रयास या षड्यंत्र के लिए दण्ड।

15. जो कोई भी, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरण, प्रयास या षड्यंत्र करता है, तो उसी रीति में दण्डित किया जाएगा मानो उसने स्वयं वह अपराध किया हो।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।

16. इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी लोक सेवा के विरूद्ध किसी न्यायालय या प्राधिकरण के सम्मुख को कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी।

नियम बनाने की शक्ति।

17. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

18. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से अनअसंगत ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो इसे कठिनाई दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद, इस धारा के अधीन कोई भी आदेश नहीं किया जाएगा।

(2) उप–धारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।

रितु गर्ग,
प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

11885—L.R.—H.G.P., Pkl.